

17/18

पकावली आम कंपनी कोर्ट के अंतर्गत पेश की।
उत्तर के संबंधित प्रार्थना पत्र 15/11/18 का
विस्तारण के अंतर्गत प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा को जारी रखने का कोई हार्जिट्य
नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
को खारिज किया जाता है। पकावली कंपनी
अकार एकर नम्बर 18/11/18 के तथा फाइल
द्वारा है।

उपखण्ड अधिकारी (अस्थाई)
उदयपुर (अस्थाई)